न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 35/2019

प्रार्थी–

1. हरीराम पुत्र भागीरथराम जाति साद , निवासी– मातासुख तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री शिवकुमार पारासर।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 21/6/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हरीराम पुत्र भागीरथराम ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा मातासुख तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 160 के खसरा नम्बर 663 में प्रेमदास पुत्र भागीरथदास खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड संख्या 008275800023 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू1395227, आधार कार्ड संख्या 6650 5584 5741, भामाशाह क्रमांक बीएचडब्लूओपीटीपी , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी 1982 की अंकतालिका क्रमांक संख्या 066311, मनरेगा जोब कार्ड संख्या 271400310401794900, जनआधार कार्ड संख्या 5067286489 व प्रार्थी द्वारा 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मे प्रार्थी का सही नाम हरीराम पुत्र भागीरथराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 03.02.2021 व 26.04.2022 को मय हल्का आईएलआर व पटवारी ढेहरी की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी सम्वत 2073–2076 स्थायी में प्रेमदास पुत्र भागीरथदास खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के ग्राम मातासुख के खाता संख्या

21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

160 खसरा नंबर 663 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी प्रेमदास के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड संख्या 008275800023 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू1395227, आधार कार्ड संख्या 6650 5584 5741, भामाशाह क्रमांक बीएचडब्लूओपीटीपी , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी 1982 की अंकतालिका क्रमांक संख्या 066311, मनरेगा जोब कार्ड संख्या 271400310401794900, जनआधार कार्ड संख्या 5067286489 व प्रार्थी द्वारा 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र में नाम हरीराम पुत्र भागीरथराम दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में प्रेमदास नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम प्रेमदास दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने प्रेमदास तथा हरीराम दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी ढेहरी तहसील जायल की रिपोर्ट, राशन कार्ड संख्या 008275800023 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू1395227, आधार कार्ड संख्या 6650 5584 5741, भामाशाह क्रमांक बीएचडब्लूओपीटीपी , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी 1982 की अंकतालिका क्रमांक संख्या 066311, मनरेगा जोब कार्ड संख्या 271400310401794900, जनआधार कार्ड संख्या 5067286489 व प्रार्थी द्वारा 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तथा ग्राम मातासुख नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 160 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मातासुख के खतौनी सं. 160 में अंकित खसरान् में प्रार्थी का नाम प्रेमदास पुत्र भागीरथदास के स्थान पर हरीराम पुत्र भागीरथराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मातासुख तहसील के खतौनी सं. 160 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार राशन कार्ड संख्या 008275800023 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू1395227, आधार कार्ड संख्या 6650 5584 5741, भामाशाह क्रमांक बीएचडब्लूओपीटीपी , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी 1982 की अंकतालिका क्रमांक संख्या 066311, मनरेगा जोब कार्ड संख्या 271400310401794900, जनआधार कार्ड संख्या 5067286489 व प्रार्थी द्वारा 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की फोटो प्रति में प्रार्थी प्रेमदास एवं हरीराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार

सहायक कलक्टर

तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय हरीराम के स्थान पर प्रेमदास दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि प्रेमदास एवं हरीराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम मातासुख के खाता संख्या 160 में दर्ज खातेदार नाम प्रेमदास पुत्र भागीरथदास के स्थान पर वास्तविक नाम हरीराम पुत्र भागीरथराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम मातासुख तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 160 दर्ज नाम प्रेमदास पुत्र भागरीथदास के स्थान पर हरीराम पुत्र भागीरथराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल